# हकियत वाद सं0–197/2019

दिनाक–29.06.2021

उभयपक्षों की हाजरी है। वादी का आवेदन दिनांक–02.03.2021 अंदर आंदेश–6 नियम–17 वो दफा–151 सी0पी0सी0 पर प्रतिउतर दिनांक–05.04.2021 पर सुनवाई के पश्चात आज आदेश हेतु प्रस्तुत है।

वादी ने अपने आवेदन के माध्यम से कहा है कि टंकक की गलती से अर्जिदावी के सिडियुल नं0–4 मे अंचल वो थाना–सोनपुर दर्ज हो गया है जो गलत है। सही अंचल वो थाना दरियापुर है जिससे संशोधित होना न्यायाहित में बहुत जरूरी है। प्रतिवादी के द्वारा इसका विरोध किया गया है।

उभयपक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। वादी अभी प्रारंभिक चरण में है। वाद बिन्दु का अभी गठन नही किया गया है। वादी के आवेदन औपचारिक प्रवृति का है। इससे वाद के स्वरूप पर कोई प्रभाव नही पड़ता है। अतः वादी का आवेदन दिनांक–02.03.2021 को 200/–रू0 खर्च पर स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश से 14 दिनों के अंदर नाजिर के समक्ष अपने वाद के आलोक मे संशोधन कर लें।

मुंसिफ,

सोनुपर